न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहा0कले0प्रथम श्रेणी,हरिद्वार।

वाद संख्या 78 /2021–22

धारा 143 ज0वि0अधिनियम
मौजा सराय
परगना ज्वालापुर
तहसील व जिला हरिद्वार।

मौज्जम अली पुत्र शौकत अली निवासी मौहल्ला कस्साबान ज्वालापुर एवं सज्जाद हुसैन पुत्र श्री इलियास निवासी ईदगाह रोड़ परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार।

बनाम

सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद, वादीगण मौज्जम अली पुत्र शौकत अली निवासी मौहल्ला कस्साबान ज्वालापुर एवं सज्जाद हुसैन पुत्र श्री इलियास निवासी ईदगाह रोड़ परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार नें ऑन लाईन प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र को प्रस्तुत कर मौजा सराय परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार में स्थित खाता संख्या 236 के खसरा संख्या 96/2 रकबा 0.0684 एवं खसरा संख्या 99/3 रकबा 0.0684,अपने हक एवं कब्जे की भूमि को निजी अद्यौगिक प्रयोजन हेतु अकृषिक किये जाने का अनुरोध किया गया है।

वादी मौज्जम अली पुत्र शौकत अली निवासी मौहल्ला कस्साबान ज्वालापुर एवं सज्जाद हुसैन पुत्र श्री इलियास निवासी ईदगाह रोड़ परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 25.04.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि भूमि खाता संख्या 236 के खसरा संख्या 96/2 रकबा 0.0684 एवं खसरा संख्या 99/3 रकबा 0.0684 स्थित भूमि स्थित मौजा सराय परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार जिस पर मौके पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागबानी, पशुपालन आदि शामिल है का कार्य नही किया जा रहा है, अपने हक एवं कब्जे की भूमि को अपने निजी अद्यौगिक प्रयोजन हेतु ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गई।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व निरीक्षक ज्वालापुर एवं तहसीलदार हरिद्वार का अवलोकन किया तहसीलदार हरिद्वार की जांच आख्या के आधार खाता संख्या 236 के खसरा संख्या 96/2 रकबा 0.0684 एवं खसरा संख्या 99/3 रकबा 0.0684, भूमि स्थित सराय परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार जिस पर मौके पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागबानी, पशुपालन आदि शामिल है का कार्य नही किया जा रहा है अपने हक एवं कब्जे की भूमि को अपने निजी अद्यौगिक प्रयोजन हेतु ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है

.....पेज 02 पर.....

आदेश।

अतः तहसीलदार हरिद्वार की आख्या दिनांक 25.04.2022 एवं राजस्व निरीक्षक की स्थलीय जांच आख्या के आधार पर भूमि खाता संख्या 236 के खसरा संख्या 96/2 रकबा 0.0684 एवं खसरा संख्या 99/3 रकबा 0.0684,स्थित भूमि स्थित मौजा सराय परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार जिस पर मौके पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागबानी, पशुपालन आदि शामिल है का कार्य नही किया जा रहा है अपने हक एवं कब्जे की भूमि को अपने निजी अद्यौगिक प्रयोजन हेतु ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। ज0वि0एवंभू0व्य0अधि0 की धारा 143 से सम्बद्व नियम 135 के उपनियम 5 एवं 6 के कम में रेवन्यू कोर्ट मैनुअल के पैरा 405 के निर्धारित दरो के अनुसार हदवन्दी का खर्चा कुल 2500.00 रूपये आंगणित किया गया। उक्त के कम में आवेदक द्वारा राजकीय कोष के लेखा शीर्षक 0029–भूराजस्व–800 अन्य प्राप्तियां–00 के द्वारा रूपये 2500.00 धनराशि जमा करा दी गयी है। प्रश्नगत् भूमि का उपयोग अपने निजी अद्यौगिक प्रयोजन के लिये ही मान्य होगा तथा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिये मान्य नही होगा। उक्त अकृषिक भूमि का भू–राजस्व को नियमानुसार ग्राम सराय परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार की उक्त खाते से कम किया जाये। वाद मे राज्य सरकार एवं प्रभावी पक्षकार का हित सुरक्षित रहेगा। उक्तानुसार भू–अभिलेखों में अंकन हेतु परवाना अमलदरामद जारी होवें। आदेश की एक प्रति उप निबंधक को भेजकर वाद आवश्यक कार्यवाही उपरांत पत्रावली अभिलेखागार में संचित होवे।

उपरोक्त आदेश निम्न शर्तो के अधीन जारी किया जाता है:–

1. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड़ नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–119/2013 अनुज कंसल बनाम उत्तराखण्ड़ राज्य आदि में पारित आदेश दिनांक 19–06–2018 एवं आदेश के पैरा–14(5) " The State Government Shall not be permit the use of agricultural land recorded in revenue records as agricultural land to be converted for group housing complexes taking into consideration the acute shortage of farming land in the state of Uttarakhand its is made clear that his will not apply to a farmer who wants to build a house for him self as per the UPZA & LR act Suitable legislation is made. is made in other words. there shall be ban on conversation of agricultural land orchard land for construction of group housing projects/complexes. including by the societies till the enactment of law" का अक्षरण अनुपालन करेगा और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विपरीत भूमि का उपयोग नही करेगा।
2. यदि वादी/आवेदक अनुसूचित जाति का सदस्य है तो वादी/आवेदक यदि भविष्य में भूमि को विकय करता है तो उसे नियमानुसार धारा 157क/157कक के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
3. यदि वादी/आवेदक प्रश्नगत् भूमि अपने निजि प्रयोग/उपयोग मे नही लाया जाता है अथवा पत्रावली मे उल्लिखित तथ्यों के विपरीत तथ्य के प्रकाश में आने पर अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जाये।

दिनांक 15/ 06/2022

(पूर्ण सिंह राणा)
उप जिला मजिस्ट्रेट/
सहायक कलेक्ट्रर प्रथम श्रेणी,
हरिद्वार।

पंत्राकः 610 /अहलमद/2022 दिनांक 25/ 06/2022

न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहा0कले0प्रथम श्रैणी,हरिद्वार।

वाद संख्या 78 /2021–22

धारा 143 ज0वि0अधिनियम
मौजा सराय
परगना ज्वालापुर
तहसील व जिला हरिद्वार।

मौज्जम अली पुत्र शौकत अली निवासी मौहल्ला कस्साबान ज्वालापुर एवं सज्जाद हुसैन पुत्र श्री इलियास निवासी ईदगाह रोड परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार।

बनाम

सरकार

परवाना अमलदरामद

तहसीलदार
हरिद्वार।

कृपया वाद उपरोक्त में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/06/2022 के अन्तर्गत भूमि खाता संख्या 236 के खसरा संख्या 96/2 में से क्षेत्रफल 0.0684है0, व खसरा संख्या 99/3 में से क्षेत्रफल 0.0684है0,भूमि स्थित मौजा सराय परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार को अपने निजी अद्यौगिक प्रयोजन हेतु ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। प्रश्नगत् भूमि का उपयोग अपने निजी अद्यौगिक प्रयोजन उपयोग के लिए ही मान्य होगा तथा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिये मान्य नही होगा। उक्त अकृषिक भूमि का भू राजस्व का नियमानुसार ग्राम सराय परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार की उक्त खाते से कम किया जाये। वाद में राज्य सरकार एवं प्रभावी पक्षकार का हित सुरक्षित रहेगा।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–119/2013 अनुज कंसल बनाम उत्तराखण्ड राज्य आदि में पारित आदेश दिनांक 19.06.2018 एवं आदेश के पैरा–14(5)"**The State Government Shall not be permit the use of agricultural land recorded in revenue records as agricultural land to be converted for group housing complexes taking into consideration the acute shortage of farming land in the state of Uttarakhand its is made clear that his will not apply to a farmer who wants to build a house for him self as per the UPZA & LR act Suitable legislation is made. is made in other words. there shall be ban on conversation of agricultural land orchard land for construction of group housing projects/complexes. including by the societies till the enactment of law**" का अक्षरण अनुपालन करेगा और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विपरीत भूमि का उपयोग नही करेगा।

1. यदि वादी/आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है तो वादी/आवेदक यदि भविष्य में भूमि को विक्रय करता है तो उसे नियमानुसार धारा 157क/157कक/157खख के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
2. यदि वादी/आवेदक प्रश्नगत् भूमि अपने निजि प्रयोग/उपयोग मे नही लाया जाता है अथवा पत्रावली मे उल्लिखित तथ्यों के विपरीत तथ्य के प्रकाश में आने पर अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जाये।

अतः उपरोक्तानुसार अभिलेखों में अमलदरामद के उपरांत परवाना इस न्यायालय को एक सप्ताह में लौटाना सुनिश्चित करें।

(पूरण सिंह राणा)
उपजिलाधिकारी/सहा0कले0प्रथम श्रैणी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपि– उप निबन्धक हरिद्वार को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/सहा0 कले0 प्र0 श्रैणी,
हरिद्वार।